महत्वपूर्ण

संख्याः 1764/नौ-1-2026-04सा/26

प्रेषक,

सत्य प्रकाश पटेल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।**
2. **नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।**

नगर विकास अनुभाग-1, लखनऊ, दिनांकः 25 मई, 2026

विषयः- प्रदेश की नगरीय निकायों में नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के नाम निर्वाचित सदस्यों की भाँति यथोचित स्थानों पर अंकित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया प्रदेश के नगरीय निकायों में नाम-निर्दिष्ट सदस्यों को नामित करने संबंधी शासन की विभिन्न अधिसूचनाओं के क्रम में नामित सदस्यों का शपथ ग्रहण कराये जाने संबंधी शासन के पत्र संख्या-1079/नौ-1-2026-04सा/26 दिनाँक 26.03.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 9(1)(घ) एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 6(1)(ख) में अधिनियमित व्यवस्थाओं के आलोक में शासन की विभिन्न अधिसूचनाओं दिनाँकित 14.03.2026 के माध्यम से प्रदेश के समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में नाम-निर्दिष्ट सदस्य नामित किये गये हैं। तद्क्रम में शासन के उपर्युक्त पत्र दिनाँक 26.03.2026 द्वारा नामित सदस्यों को नियमानुसार शपथ ग्रहण कराये जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों एवं नगर आयुक्तों को निर्देश भी दिये गये हैं।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने जनपद से संबंधित नगरीय निकायों में निर्वाचित सदस्यों की भाँति नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के नाम संबंधित निकाय के अभिलेखों, सूचना-पट्ट/पट्टिका पर प्रदर्शित करते हुए एवं निकाय कार्यालय में यथोचित स्थान पर नाम पट्टिका आदि लगाये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पटेल)
विशेष सचिव।

संख्या- 1764 (1)/नौ-1-2026-04सा/26, दिनाँक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, नगर निकाय, निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उत्तर प्रदेश (द्वारा संबंधित जिलाधिकारी)।
4. सुपर वेब यूजर्स/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव।